

16
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिपत्र, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनासंगत डाक व्यय की पूर्ण अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिजीटल
म. प्र. - 108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अप्रैल 2008--वैशाख 3, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र. 2611-120 इकाई-अ (पा.)--मध्यप्रदेश विधान सभा का निर्मातित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 को
संसदीय सभापति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एनद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाय है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

PRO F...

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २००८.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम

दिनांक २१ अप्रैल, २००८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ अप्रैल, २००८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २००८ है.

धारा ३६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ३६ की उपधारा (८) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(८) विनियामक आयोग [redacted] उस तारीख से, जिसको वह अपने पद ग्रहण करता है [redacted] इनमें से जो पूर्वतर हो. पद धारण करेगा, और वह पचहत्तर वर्ष की उमिर आयु सीमा के अधीन रहते हुए पूर्वकी वर्षी की द्वितीय अवधि के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा :

परन्तु पांच वर्षों की उमर कालावधि का अवसान होने पर भी वह उसके उत्तराधिकारी के निम्न [redacted] और उसके पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा किन्तु ऐसी कालावधि उह [redacted] नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अवधि के अवसान के पश्चात्, विनियामक आयोग का सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्य किसी भी रूप में या किसी भी नाम में, चाहे वह जो भी हो, किन्हीं आर्थिक फायदों और इस अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय में कोई नियोजन (असाइनमेंट) या सेवयोजन स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध होगा."

भोपाल, दिनांक २३ अप्रैल २००८

क्र. २६२२-२२०-उत्कृष्ट अ(प्रा.) - भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २००८ (क्रमांक ७ सन् २००८)" का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से सार्वजनिक प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव